



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944-242400



पत्रांक:- 2570 / सा0नि0अनु0/नि0सू0/2025-26

दिनांक- 03-01-26

"अल्पकालीन निविदा सूचना"

नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2025-26 में सिविल निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि वार्ड नं 29 में रुद्रा कॉन्टिनेंटल के सामने स्थित सुभाष चौक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति स्थापना कार्य हेतु दिनांक 29.11.2025 का विभिन्न निर्माण कार्यों के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः दिनांक 15.01.2026 को अपरान्ह 01:00 बजे तक सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जिन्हें तद्दिनांक को ही अपरान्ह 03:00 बजे से निविदा समिति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/फर्म निर्धारित दिनांक एवं समय तक अपनी-अपनी सीलबन्द निविदायें कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर में निविदा पेटी में डाल सकते हैं। निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय निर्माण अनुभाग के कक्ष संख्या 23 से दिनांक 05.01.2026 से दिनांक 13.01.2026 तक (राजकीय अवकाश दिवस को छोड़कर) कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निविदा शुल्क जमा कर क्रय कर सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। निविदा की समस्त जानकारी एवं शर्तें नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से तथा विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

महापौर,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक:-

/सा0नि0अनु0/नि0सू0/2025-26

दिनांक-

प्रतिलिपि:-निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा/उत्तरांचल दर्पण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 04.01.2026 के अंक में न्यूनतम पठनीय साईज में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(भरत सिंह डांगी)
अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

“कार्य का विवरण एवं निविदा हेतु शर्तें व नियम”

1. निर्माण कार्य का विवरण, धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, कार्य निष्पादन हेतु समयवधि आदि विवरण निम्नवत् है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि (लाख रु0 में)	धरोहर धनराशि रु0	निविदा मूल्य+जी.एस.टी.			कार्य अवधि	ठेकेदार श्रेणी
				मूल्य	जी.एस. टी.	कुल		
1	वार्ड नं0 29 रुद्रा कॉन्टिनेंटल के सामने स्थित सुभाष चौक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति स्थापना का कार्य।	19.16	57,480.00	1500.00	270.00	1770.00	02 माह	‘डी’ एवं उच्चतर

- निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2025-26 में सिविल निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष शेड्यूल-बी के अनुसार धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, प्रत्येक कार्य की अलग-अलग मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर में निहित है।
- निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयानुसार निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई तिथियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
- निविदा की शर्तों के अनुसार निविदादाता को निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न अभिलेखों के सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निविदा में प्रतिभाग करने वाले फर्म/निविदादाता को पूर्व में आवंटित निर्माण कार्य यदि निर्धारित समयवधि में पूर्ण न किये गये हो तो उक्त फर्म/निविदादाता को निविदा विक्रय नहीं की जायेगी।
- निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत दी गई निविदा ही मान्य होगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य संख्या व कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम एवं ठेकेदार/फर्म की श्रेणी अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रतिशत आधारित निविदाओं की दरें शब्दों व अंको दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा दरें दशमलव बिन्दु के दो अंको/स्थान तक ही मान्य होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- दरें आधारित निविदा के प्रत्येक मद की दर, प्रत्येक मद हेतु निर्धारित स्थान पर ही अंकित करना अनिवार्य होगा।
- निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
- सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्त की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
- ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर में रु0 1.00 का रसीदी टिकट चस्पा कर हस्ताक्षर सहित निविदा की वैधता अवधि इंगित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाईल्स व पुरानी ईंट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
- स्वीकृत कार्य को नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता की उपस्थिति में प्रारम्भ करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयवधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।

18. निविदा समिति की संस्तुति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 03 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
19. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।
20. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होंगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।
21. ठेकेदार कार्य को अनुबन्ध की समयावधि में पूर्ण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध शासनादशों के अनुक्रम में भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
22. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
23. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य की Defect Liability Period (01 वर्ष) के बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्वोरिटी डिपोजिट की धनराशि वापस लौटा दी जायेगी।
24. ठेकेदार/फर्म को कार्य का भुगतान धन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा तथा बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
25. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ सुथरे रूप में विभाग को हस्तांतरित करना आवश्यक होगा।
26. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
27. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय से पूर्व समय वृद्धि हेतु परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार केवल 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
28. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर लें तथा ठेकेदार को आगामी 03 (तीन) वित्तीय वर्षों हेतु काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
29. निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
30. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल जॉच किसी मान्यता प्राप्त लैब (प्रयोगशाला) से कराना आवश्यक होगा तथा सैम्पल की जॉच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसके व्यय का बिल ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत करने पर अनुमोदित दरों पर विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा।
31. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से स्वीकार्य होगा।

नोट—समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेंगी जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।